न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **111/2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी हनुमान कॉलोनी शास्त्रीनगर भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन)
––अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 22.01.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन) के विरूद्ध दिनांक 12.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 424001 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 31.10.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31.10.2018 की प्रति अपील मेमों के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 13.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन) द्वारा पत्रांक/ दिनांक 26.12.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 31.10.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा (निर्वाचन) से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि "अपीलार्थी को चाही गयी सूचना आचार संहिता प्रकोष्ठ द्वारा अपने पत्रांक/34460 दिनांक 04.12.2018 से बिन्दु सं. 01 व 02, एवं पत्रांक/मी प्र/2018/748 दिनांक 21.12.2018 बिन्दु सं. 03 की एवं बिन्दू सं. 4 व 5 की सूचना निर्वाचन/सूअ/83875 दिनांक 24.12.2018 जरिये डाक द्वारा प्रेषित की गयी है।"

अपीलार्थी ने अपील के संबंध में लिखित परिकथन प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया है कि ''अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2018 के बिन्दू सं. 4 की आंशिक एवं बिन्दू सं. 5 की सूचना प्राप्त हो चुकी है। लेकिन बिन्दू सं. 1 से 3 तक की सूचना अप्राप्त है। अवशेष सूचनायें बिना प्रभार के प्रदान करने हेतु आदेश प्रसारित करने की प्रार्थना की हैं।''

अपीलार्थी के सूचना अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2018 एवं प्रत्यर्थी के जवाब के परीक्षण अनुसार आचार संहिता प्रकोष्ठ के पत्रांक 34460 दिनांक 04.12.2018 से बिन्दू सं. 1 व 2 की एवं पत्रांक/ 748 दिनांक 21.12.2018 से बिन्दू सं. 3 की और पत्रांक/निर्वाचन/सूअ./83875 दिनांक 24.12.2018 से बिन्दू सं. 4 व 5 की सूचना जरिये डाक प्रेषित करना बताया हैं, जबकि अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में बिन्दू सं. 4 की आंशिक एवं बिन्दू सं. 5 की सूचना प्राप्त होना बताया । बिन्दू सं. 1 से 3 की सूचना प्राप्त नही होना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र के बिन्दू सं. 1 से 3 की सूचना एवं बिन्दू सं. 4 की पूर्ण सूचना निर्णय प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराकर पालना से अवगत करावें । निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्‌ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा